न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिरोही
बईजलास पीठासीन अधिकारी हंसमुख कुमार, आर.ए.एस.

रा.प्रा.पत्र संख्या 77 / 2019

| प्रार्थीगण | बनाम | अप्रार्थीगण |
|---|---|---|
| 1–जैसाराम पुत्र श्री जीवाजी<br>2– कालुराम पुत्र सुरारामजी<br>सभी जाति भील नि. कृष्णगंज<br>तहसील व जिला सिरोही | | स्टेट जरि तहसीलदार सिरोही |

1– श्री प्रमोदकुमार दवे वकील प्रार्थी की ओर से
2– अप्रार्थी स्टेट की ओर से पैरोकार सरकार (ना.तह.कालंद्री)

रा.प्रा.अ.धारा 251(क) की उपधारा (1)राज.अभिधृति अधिनियम 1955 के तहत वास्ते खातेदारी कृषि भूमि मे जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता देने

निर्णय दिनांक 17–2–2020

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह रा.प्रा.पत्र अर्न्तगत धारा 251(क)की उपधारा (1) राजस्थान अभिधृति अधिनियम के तहत विरूद्व अप्राथी स्टेट जरिये तहसीलदार सिरोही का वास्ते खातेदारी कृषि भूमि मे जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता देने बाबत इस न्यायालय मे दिनांक 14–10–2019 को पेश किया जिसका संक्षेप मे तथ्यात्मक विवरण इस प्रकार है कि ग्राम मीरपुर की जमाबंदी सवत 2071–2074 के खाता संख्या 87 व 86 कमशः खसरा नंबर 2 व 3 कमशः रकबा 1.6200 , 2.4300 हेक्टेयर भूमि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि है। प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भूमि पर आने जाने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता रेकर्ड अनुसार मौजूद नही है।

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थनापत्र व संलग्न फार्म नंबर 3 मे वर्णित प्रार्थी गण की खातेदारी कृषि भूमि की जमाबंदी संवत 2071–2074 के खसरा नंबर 2 रकबा 1.6200 हेक्टेयर तथा जमाबंदी संवत 2071–2074 के खसरा नंबर 3 रकबा 2.4300 हैक्टेयर तथा अप्रार्थी राज्य सरकार की खातेदारी कृषि भूमि की जमाबंदी संवत 2071–2074 के खाता संख्या 01 खसरा नंबर 1 रकबा 1.5000 हैक्टेयर नक्शा किश्तवार प्रार्थी जैसाराम व कालूराम का आधार कार्ड की प्रतियो का गहनतापूर्वक अवलोकन कर उस पर मनन किया तो प्रार्थनापत्र मे अंकित तथ्यों से न्यायालय प्रथम दृष्टयॉ आश्वस्त होने से उक्त प्रार्थनापत्र दिनांक 14–10–2019 को दर्ज रजिस्टर कर अप्राथी स्टेट तहसीलदार सिरोही को जवाब पेश करने हेतु नोटिस जारी किये गये । विचारण प्रार्थनापत्र की इस न्यायालय मे सुनवाई पेशी दिनांक 23–12–2019 को अप्रार्थी स्टेट तहसीलदार सिरोही का नोटिस तामिल शुदा प्राप्त होने से शामिल मिसल किये गये । सुनवाई पेशी दिनांक 10–2–2020 को न्यायालय मे दौराने सुनवाई अप्रार्थी स्टेट तहसीलदार सिरोही ने जरिये पत्र कमांक 93 दिनांक 28–1–2020 को जवाब पेश किया जिसे शामिल मिसल किया गया ।

अप्रार्थी स्टेट जरिये तहसीलदार सिरोही ने अपने जवाब मे कथन किय कि ग्राम मीरपुर की जमाबंदी संवत 2071–2074 के खाता सख्या 87 व 86 कमशः खसरा नंबर 2 व 3 कमशः रकबा 1.6200 ,2.4300 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि है। जमाबंदी नकल संलग्न है। प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भूमि मे

Continue Page No 2

उपखण्ड अधिकारी
सिरोही

आने जाने हेतु मौजा मीरपुर के खसरा नंबर 1 सरकारी बिलानाम भूमि मेसे भूमि रास्ते के लिये मांग करने से निम्नानुसार रास्ते हेतु भूमि दिया जाना उचित है।

| क.सं. | नाम खातेदार | खसरा नंबर | कुल रकबा | प्रस्तावित रास्ते मे जाने वाली रास्ते की भूमि का क्षैत्रफल |
|---|---|---|---|---|
| 1 | राजकीय बिलानाम | 1 | 1.5000 | लंबाई $\frac{16+18}{2}$ = 17 मीटर × चौडाई 6 मीटर = 102 वर्गमीटर अर्थात 0.0102 हैक्टेयर |

प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भूमि पर आने जाने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता रेकर्ड अनुसार मौजूद नही है। प्रस्तावित रास्ता प्रार्थीगण की कृषि भूमि मे आवागमन हेतु मुख्य मार्ग से लघुतम दूरी का रास्ता है।

पत्रावली वास्ते वकील उभय पक्षकारान व पैरोकार सरकार की प्रार्थनापत्र अ. धा. 251(क) आर.टी.एक्ट पर अंतिम बहस दिनांक 10–2–2020 को रखी गई। जिस पर वकील प्रार्थीगण तथा पैरोकार सरकार (नायब तहसीलदार कालन्द्री) ने हाजिर होकर विचारण प्रकरण प्रार्थनापत्र अ.धा. 251(क) आर.टी.एक्ट पर अतिम बहस करने से अंतिम बहस सुनी गई ।

हमने विचारण प्रकरण प्रार्थनापत्र अ0धा0 251(क) आर.टी.एक्ट पर वकील प्रार्थीगण तथा एवं अप्रार्थी स्टेट तहसीलदार सिरोही की ओर से पैरोकार सरकार (नायब तहसीलदार कालन्द्री ) की अंतिम बहस पर गंभीरता से मनन किया। विचारण प्रकरण की मूल पत्रावली मय प्रार्थनापत्र व जवाब स्टेट तहसीलदार सिरोही व संलग्न राजस्व रेकर्ड जमाबंदी व संलग्न नक्शा ट्रेस किश्तवार का गहनतापूर्वक अध्ययन कर उस पर मनन किया। सम्पूर्ण प्रकरण के विवेचन के उपरान्त यह पाया कि प्रार्थीगण ने उसकी खातेदारी कृषि भूमि कृषि भूमि मेसे होकर विशिष्ठ रूप से नये मार्ग के मामले मे पहुचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्व किया है।अतः प्रार्थीगण को खातेदारी आराजी मे होकर आने जाने के लिये मवेशी ट्रेक्टर,बैलगाडी आदि के लिये रास्ते की सुविधाजनक उपयोग के लिये आत्यांतिक आवश्यकता होने से एवं अन्य वैकल्पिक मार्ग की उपलब्धता सिद्व नही होने से तहसीलदार,सिरोही द्वारा प्रस्तावानुसार जगह से रास्ता दिया जाना उचित समझते है। अतः उपरोक्त सभी के आधार पर प्रार्थीगण का यह प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 251(क) आर.टी.एक्ट का विरूद्व अप्रार्थी स्टेट तहसीलदार सिरोही का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार सिरोही प्रार्थीगण खातेदारी की भूमि मे कृषि कार्य व सिचाई हेतु आवागमन के लिये प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भूमि पर आने जाने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता रेकर्ड अनुसार मौजूद नही होना तथा प्रस्तावित रास्ता प्रार्थीगण की कृषि भूमि मे आवागमन हेतु मुख्य मार्ग से लघुतम दूरी का रास्ता होना बताया है। अतः उपरोक्त सभी के आधार पर तहसीलदार सिरोही द्वारा निम्नानुसार प्रस्तावित रास्ते की भूमि स्वीकृत की जाती है :–

उपखण्ड अधिकारी
सिरोही

Continue Page No 3

| क.सं. | नाम खातेदार | खसरा नंबर | कुल रकबा | प्रस्तावित रास्ते मे जाने वाली रास्ते की भूमि का क्षैत्रफल |
|---|---|---|---|---|
| 1 | राजकीय बिलानाम | 1 | 1.5000 | लंबाई $\frac{16+18}{2}$ = 17 मीटर × चौडाई 6 मीटर = 102 वर्गमीटर अर्थात 0.0102 हैक्टेयर |

इस सम्बन्ध मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत धारा 251 व 251(क) के तहत राजस्थान सरकार के श्रीमान संयुक्त शासन सचिव राजस्व (ग्रुप–6) विभाग राजस्थान जयपुर द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प03(52) राज–6/4 दिनांक 14–6–2013 बाबत् राजकीय भूमि पर सार्वजनिक रास्ता निकालने के संबंध मे दिये गये प्रावधानों अनुसार उक्त रास्ते की स्वीकृत की गई भूमि के प्रतिकर की रकम निम्नलिखित रीति से अवधारित करने हेतु तहसीलदार सिरोही को आदेश दिये जाते है:–

(क) राजस्थान स्टाम्प नियम 2004 के नियम 2 के उपनियम (1) के खण्ड (ख) के अधीन गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की गई दरों या किसी नये मार्ग के खोलने या विधमान मार्ग के विस्तार या चौडा करने के मामले मे राजस्थान स्टाम्प नियम 2004 के नियम 58 के उपनियम (2) के अधीन राज्य सरकार द्वारा अवधारित दरों का दुगुना और

(ख) उपनियम (1) के खण्ड (क) या (ख) के अधीन अवधारित भूमि के मुल्य के अतिरिक्त यदि खडे वृक्ष फसल या संरचनाओ को हटाने के कारण कोई हानि या नुकसान होता है तो वास्तविक हानि या नुकसान की रकम अवधारित की जायेगी ।

प्रार्थी/गण तहसीलदार सिरोही द्वारा उक्त रास्ता की भूमि की नियमानुसार कीमत अवधारित कर कीमत की राशि तहसील कार्यालय सिरोही मे जमा करवाने व रास्ते के लिये अप्रार्थी राज्य सरकार की खातेदारी कृषि भूमि की जमाबंदी संवत 2071–2074 के खाता संख्या 01 खसरा नंबर 1 रकबा 1.5000 हैक्टेयर मेसे लम्बाई $\frac{16+18}{2}$ = 17 मीटर × चौडाई 6 मीटर = 102 वर्गमीटर अर्थात 0.0102 हैक्टेर को उपरोक्तानुसार राशि का भुगतान करने पर भूमिधारी तहसीलदार, सिरोही) को राजस्व रेकर्ड व नक्शा मे अमल दरामद रास्ते की भूमि कम कर राजस्व रेकर्ड मे किस्म गैर मुमकिन सार्वजनिक रास्ता श्री सरकार बिलानाम खाते मे दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। उपरोक्त निर्णय आज दिनांक 17–2–2020 को सरे ईजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.)
सिरोही

उपरोक्त निर्णय आज दिनांक 17–2–2020 को मेरे हस्ताक्षर,पदनाम व न्यायालय की गोल मुहर से जारी किया गया ।

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.)
सिरोही

Signature Not Verified
Digitally signed by Hansmukh Kumar
Date: 2020.02.19 18:47:54 IST
Reason: SelfAttested
Location: